

कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 527x3^3/2000/ लो.नि.वि./2000

अनुज्ञा क्रमांक 3825/1/

दिनांक 2/9/2000



नाम श्रीमति शीला कान्त को पुरुषोत्तम नगर,

देवास।

विषय प्लॉट नं. 124 पैको रेल्वेस्टेशनरोड स्थित पर मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य

बाबत।

उक्त विषय में आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.7.2000 का प्राप्त

उत्तर पर श्री अशुक्त महोदय के आदेश दिनांक 30.8.2000 के अनुसार

आपके आदेशानुसार मानचित्र अनुसार आपकी साइटने से 5.40 मीटर साईड से 12.90 मीटर चौड़ाई से 12.00 मीटर का प्लॉट नं. 124 को दो स्टोर फ्लोर फ्लोटर के आवासीय निर्माण कार्य को अनुमति सामने स्वयंकी भूमि पर ही आवासीय पूजा करनेकी शर्त पर प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य स्वयंकी मानचित्र अनुसार होकरे।

निर्माण कार्य प्रारम्भ, स्लेब एवं निर्माण समाप्तको सूचना से समय समय पर निर्माण को दर्शाकरा गइयेगा। निर्माण कार्यकी अनुज्ञा एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

नल होनेकी दशा में रु. 125/- जल्कर के रूप में निर्माण समाप्त तक प्रतिमाह जमा कराने होंगे। निर्माण कार्य स्वयंकी भूमि पर होकरे।

प्लॉट नं. 124 की भूमि, स्वयंकी दस्तावेज संबंधि विवाद उत्पन्न होनेकी दशा में दोषी अनुशासितः निरस्त समझी जायेगी।

आपकी भूमि विवाद अधिनियम 1984 के समस्त शर्तों एवं उपबंधों का पालन करे।

नगर स्वयंकी से जुड़े कार्य स्थिति पर्याप्त जानकारी जाना आवश्यक है नगरपालिका स्थिति में दोषी अनुशासितः निरस्त समझी जायेगी।

पिछे अंकित नोटका पालन करे।

संलग्न नः- मानचित्र-1 एवं शर्तोंके

प्रपत्र
120/10/-

अशुक्त
नगर पालिक निगम,
देवास (म.प्र.)
अविरत